न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– राजेश कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :– 224/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार पचपदरा		निकी मेहता पत्नी पुखराज जाति ओसवाल निवासी जोधपुर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 130,131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1.प्रार्थी उपस्थित।

2.विप्रार्थी अनुपस्थित।

:आदेश:

दिनांक 18·7·2024

यतः तहसीलदार पचपदरा ने ग्राम मेवानगर तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 780/238,237 व 228 भूमि में से प्रस्तावित रकबा वर्षो से मौके पर चलायमान रास्तें को भू अभिलेख में सार्वजनिक रास्ता अंकित करने का निवेदन किया गया।

अतः राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 58,59,60 एवं 86 के प्रावधानुसार एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत एवं राजस्व सरकार की अधिसूचना क्रमांकः राजस्व (गुप्र–6)/विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक–प.3 (2) राज–6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.5.2016 तथा परिपत्र क्रमांकःप.3(17)राज–06/03 पार्ट जयपुर दिनांक 24.12.2014 एवं परिपत्र क्रमांकःप.3(17)राज–6/2021 पार्ट/91 दिनांक 30.9.2021 की अनुपालना में अधोलिखित खसरान के खातेदार की सहमति के आधार पर निम्नानुसार आदेश दिए जाते है:–

ग्राम मेवानगर पटवार मण्डल मेवानगर तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 780/238,237 व 228 में से संलग्न [illegible] रास्ते में [illegible] की भूमि को राजहित में समर्पण करने की सहमति के [illegible] के परिपत्र क्रमांकःप. 3(17)राज–6/2021 पार्ट/91 दिनांक 30.9.2021 के बिन्दु संख्या 4(1) में विहित प्राव[illegible] अनुसरण में सारणी के ख भाग के कॉलम संख्या (07) में अंकित रकबा की भूमि खातेदारी आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:00:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

में से कम करते हुए सार्वजनिक गैर मुमकिन रास्ता घोषित करते हुए तदनुसार भू–अभिलेख में इन्द्राज एवं तरमीम किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते हैः–

वर्तमान जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टि (क)				नवीन रास्ते हुए दर्ज प्रविष्टि (ख)				वि.वि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र. स.	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा (हैक्ट.)	किस्म भूमि	खसरा संख्या	रकबा (हैक्ट.)	किस्म भूमि	
1	354	780/238	1.9668	गै.मु. आवासीय	780/238	0.1780	गै.मु. रास्ता	नक्शे में दर्शितनुसार
2	354	237	8.6845	गै.मु. आवासीय	237	0.0566	गै.मु. रास्ता	नक्शे में दर्शितनुसार
3	354	228	2.9866	गै.मु. आवासीय	228	0.1375	गै.मु. रास्ता	नक्शे में दर्शितनुसार

तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित कर मय रिकॉर्ड की प्रति सहित पालना रिपोर्ट प्रेषित करें।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 18·7·2024 को लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:00:40 IST
Reason: SelfAttested